ORM NO.
Rule [36]

23.12.19 अर्थी पक्ष 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री सीताराम सख्त उपस्थित लेकिन अर्थी पक्ष के नोटिस तामील नहीं पुनः पेश होने पर पत्रावली वास्ते इन्ट तलबी मिति 4.2.20 को पेश हो।

4.2.20 पत्रावली वास्ते इन्ट तलबी मिति 27.3.20 को पेश हो।

Note press
by
Faruq

19.2.20 वकील वादी ने मुलवाद तलब कर Not Press किया है अतः यह प्रावधान को Not Press से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार है। कार्यालय से बंद हो व दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.02.25 17:07:11 IST
Reason: SelfAttested